



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 45
17 अग्रहायण 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
8 दिसम्बर 2021 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-16	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	17-17	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	18-18	
पूरक	---	
पूरक-क	19-19	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर 2021

सं० भा०व०से०(आ०)-03/2019 (खण्ड) 4410/प०व०ज०प०—विभागीय अधिसूचना संख्या-111 दिनांक 11.01.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से०, (1995) तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3(1)() के अन्तर्गत निलंबित किया गया है।

दिनांक-28.04.2021 को आहूत निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1476 दिनांक-22.06.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा.व.से. के निलंबन अवधि को दिनांक 11.03.2021 के प्रभाव से अगले 120 दिनों तक विस्तारित किया गया है। पुनः दिनांक 09.07.2021 को आहूत निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1851 दिनांक 22.07.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा.व.से. के निलंबन अवधि को दिनांक 09.07.2021 के प्रभाव से अगले 120 दिनों तक विस्तारित किया गया है।

श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० के निलंबन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2021 को आहूत निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार के निलंबन अवधि को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (संशोधित, 2015) के नियम-3(8)(क) के तहत दिनांक 05.11.2021 के प्रभाव से दिनांक 30.01.2022 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा और उक्त अवधि में श्री कुमार राज्य सरकार की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

3. श्री कुमार के निलंबन अवधि में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 में विहित प्रावधानों के तहत उन्हें अनुमान्य निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है। वे जीवन निर्वाह भत्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

29 नवम्बर 2021

सं० वि०प्रा०(।।।)नियमावली-14/2020/2992—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र के अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना में आशुलिपिक/आशुटंकक एवं अन्य वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली “विज्ञान एवं प्रावैधिकी क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2021” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना तक रहेगा।

(3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- “संवर्ग” से अभिप्रेत है नियम-3 में यथावर्णित अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग,
- “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
- “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य संगठन,
- “निदेशालय” से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय,

- (v) "विभाग" से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
 (vi) "समिति" से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति,
 (vii) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति,
 (viii) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना के लिए अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति,
 (ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
 (x) "रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने अथवा पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप वर्ष की 1ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति,
 (xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।

3. अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक आशुलिपिक/आशुटंकक सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना।—

3.1 संवर्ग के पद एवं शैक्षणिक तथा अन्य अनिवार्य योग्यता निम्न प्रकार होगी—

क्र०	पदनाम	प्रास्थिति एवं प्रोन्नति का स्तर	अर्हता
1	आशुलिपिक/आशुटंकक	मूल कोटि (अराजपत्रित)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता— इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं तकनीकी योग्यता— हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलेखन एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण ज्ञान तथा कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग ज्ञान।
2	वरीय आशुलिपिक/आशुटंकक	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	—
3	निजी सहायक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	—

3.2 संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

3.3 संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।—**प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल से सरकार उस वर्ष के लिए अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/एस0बी0टी0ई0, पटना हेतु आशुलिपिक/आशुटंकक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी एवं उसके अनुसार सीधी नियुक्ति से संबंधित रिक्तियों की अध्याचना आयोग को प्रेषित करेगी।

5. **सीधी भर्ती।—**(1) संवर्ग के मूल पद अर्थात् आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। आयोग की अनुशंसा, निर्गत की तिथि से एक वर्ष हेतु वैध होगी।

(2) आयोग लिखित परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम एवं प्राप्तांक का निर्धारण विभाग के परामर्श से करेगा।

(3) विभाग के अधीन संविदा के आधार पर पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को समान पद पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी। 06 माह से ज्यादा एवं 01 वर्ष से कम की अवधि को 01 पूर्ण वर्ष माना जायेगा।

6. **उम्र सीमा।—**1. संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

2. विभाग के अधीन संविदा के आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा संविदा पर किये गये सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट, अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी।

7. **परीक्ष्यमान अवधि एवं संपुष्टि।—**परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। उक्त अवधि में सेवा असंतोषजनक रहने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिये विस्तारित की जा सकेगी। परीक्ष्यमान अवधि किसी भी परिस्थिति में तीन वर्षों से अनधिक होगी। परीक्ष्यमान अवधि के विस्तारित अवधि में भी सेवा के असंतोषजनक पाये जाने पर कर्मियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी। परीक्ष्यमान अवधि सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सेवा की संपुष्टि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सेवा संपुष्टि हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय लागू नियमावली का पालन आवश्यक होगा।

8. **प्रशिक्षण** ।—परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को प्रशासनिक शिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित अन्य संस्थान द्वारा संचालित मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम संस्थान के परामर्श से विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

9. **विभागीय परीक्षा** ।— विभागीय परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा आयोजित की जायेगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद् द्वारा विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

10. **आरक्षण** ।— इस सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण-रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे।

11. **वरीयता** ।— निदेशालय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इस संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग की अनुशंसा के मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। प्रोन्नति के पदों पर वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति संबंधी आदेश से निर्धारित होगा। किसी एक आदेश से प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता पिछले पदसोपान के वरीयता क्रम में निर्धारित की जाएगी।

12. **प्रोन्नति** ।—(क) इस संवर्ग के सदस्यों को सेवा संपुष्टि के उपरान्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति देय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ख) प्रोन्नति, योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर यथापुनरीक्षित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(घ) विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले कर्मी को प्रोन्नति नहीं दी जायेगी किंतु यदि कर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन नहीं कराया जाता है तो इस आधार पर उनकी प्रोन्नति रोक दी जा सकेगी।

13. **विविध** ।—इस नियमावली से अनाच्छादित विषयों/बिन्दुओं के संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

14. **निर्वचन** ।— नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होने पर विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और तदनुसार निर्णित होगा।

15. **कठिनाइयों का निराकरण** ।—नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

16. **निरसन** ।—(1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिर्जा आरिफ रजा, उप-सचिव।

The 29th November 2021

No. वि०प्रा०(११)नियमावली-14/2020/2992 ---In Exercise of powers conferred by Section-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules related to the recruitment, promotion and other service conditions of the Stenographer/ Stenotypist and other senior posts in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics and State Board of Technical Education, Bihar, Patna under the Department of Science and Technology:-

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the “**Science and Technology Regional Stenographer Cadre Rules, 2021**”

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar, which shall be effective for all Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics and State Board of Technical Education, Bihar, Patna under the Department of Science and Technology.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions- In these Rules, unless otherwise requires in the context-

(i) ‘**Cadre**’ means, the cadre of Engineering and Polytechnic Stenographer/Stenotypist as explained in rule-3.

(ii) ‘**Government**’ means the Government of Bihar.

- (iii) '**Commission**' means Bihar Staff Selection Commission or any other organization authorized by the State Government.
- (iv) '**Directorate**' means Directorate of Science and Technology.
- (v) '**Department**' means the 'Department of Science and Technology'.
- (vi) '**Committee**' means departmental promotion committee constituted by the department.
- (vii) '**Direct appointment**' means appointment done on the basis of recommendations made by the Bihar Staff Selection Commission or any other organization authorized by the State Government.
- (viii) '**Member of Cadre**' means any person appointed as Stenographer/Stenotypist in Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics and State Board of Technical Education, Bihar, Patna under the provisions of this rule.
- (ix) '**Appointing Authority**' means, Director, Department of Science and Technology, Bihar, Patna.
- (x) '**Vacancy**' means vacancy available on 1st April of the year due to creation of new post, superannuation, death, removal from service and termination from service.
- (xi) '**Year**' means financial year i.e. period from 1st April to 31st March.

3. Cadre Structure for Stenographer/Stenotypist Cadre rule in Engineering and Polytechnic-

3.1 The educational qualification and other essential qualification for the cadre post will be as follows:-

S.N.	Designation	Level and Promotion Level	Qualification
1.	Stenographer/ Stenotypist	Basic Grade (non gazetted)	Minimum educational qualification- Intermediate or equivalent and Technical qualification- 80 words per minute speed of Hindi stenography and 30 words per minute speed of Hindi typing on computer and knowledge about basics of computer/word processing.
2.	Senior Stenographer/ Stenotypist	First promotional Grade (non gazetted)	-
3.	Personal Assistant	Second promotional Grade (non gazetted)	-

3.2 Sanctioned strength for the different cadre post will be as determined by the Government from time to time.

3.3 The pay scale/pay level for the different level of the cadre post will be as determined by the Finance Department, Government of Bihar from time to time.

4. Determination of vacancies and its information to the Commission-The Government will calculate the vacancies as on 1st April every year for the direct recruitment on the post of Stenographer/Stenotypist in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics/State Board of Technical Education, Bihar, Patna and send requisition of vacancies to the Commission.

5. Direct Recruitment- (1) Direct recruitment to the basic post of the cadre i.e. Stenographer/Stenotypist shall be made as per the recommendation of the commission. The recommendation of the Commission shall be valid for one year from the date of issuance.

(2) The Commission shall decide the syllabus for the written examination as per the advice of the department.

(3) That the candidate will be given a weightage of 05 marks for each year of contractual services subject to a maximum of 25 marks for the satisfactory completion of contractual service on the same post under the Department. The period of more than six months and less than one year shall be treated as complete one year.

6. Age Limit- Minimum age limit for direct appointment will be 18 years and maximum age limit will be as determined by the state government from time to time.

2. Candidates engaged on the contract basis under the department shall be given relaxation in age equivalent to work rendered by him.

7. Probation Period and Confirmation- The probation period shall be of two years. During that period, if the service shall be found unsatisfactory, the probation period shall be extended for the period of one year by the appointing authority. That the probation period will not be more than 3 years in any circumstances. If the service is not found satisfactory even during extended period, then person concerned shall be terminated from the service. Service can be confirmed, if probation period has been completed successfully and in that period service was found to be satisfactory. That in addition to that guidelines issued by the Government from time to time will be followed for the confirmation of the service.

8. Training- During the probation, it shall be mandatory for every employee to participate in modern office practice related training program organized by Administrative training institute or any other institution recommended by the state government. The syllabus with respect to training and training program shall be decided by the department after consultation with the Administrative training institute or any other institution recommended by the state government.

9. Departmental Examination- Departmental examination shall be organized by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna. The syllabus for the departmental examination shall be decided by Board of Revenue after consultation with the department.

10. Reservation- Every direct appointment and promotion, compliance of the provisions of Reservation/Roster as notified by the State Government, from time to time will be applicable.

11. Seniority- That the Directorate will publish seniority list of duly appointed and working employee. Seniority of direct appointed employee will be determined as per the merit list recommended by the Commission. Seniority of the promotional post will be determined as per promotion related order. Seniority list of promoted employee shall be determined by an order as per the seniority list of previous post.

12. Promotion- (a) The members of this cadre shall be given promotion on the recommendation of departmental promotional committee after the confirmation of service. The department shall constitute the Departmental Promotional Committee.

(b) Promotion shall be as per the qualification and seniority, same shall be considered on the recommendation of departmental promotional committee.

(c) Promotion shall be considered after completion of time period revised from time to time by the General Administration Department, Bihar, Patna.

(d) The employee who has not taken mandatory training shall not be given promotion, whereas if training program for employees has not been organized then his promotion cannot be withheld on that ground.

13. Miscellaneous- Such matters which are not covered particularly by these rules shall be governed by the rules, instruction or orders applicable to the officers/employees of appropriate level of State Government.

14. Interpretation - Wherever any doubt arises relating to interpretation of any provision of these Rules, decision of the department will be final and matter will be decided accordingly.

15. Removal of Difficulties- Any difficulty related to these Rules shall be finally removed by the order of the State Government.

16. Repeal:- (1) All resolution/circulars issued prior to commencement of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said resolution or circulars shall be deemed to be done or taken under these rules as if these Rules were in force on the day, on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar,
Mirza Arif Raza, Deputy Secretary.

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना
19 नवम्बर 2021

सं० अ०नि० (०१)११/२०१६/स्था० २२२७—श्री सुधीर कुमार, निदेशक, अभियोजन बिहार, पटना के दिनांक ३०.११.२०२१ को वाध्यक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिहार अभियोजन सेवा के वरीयतम् कार्यरत पदाधिकारी श्री प्रभुनाथ सिंह, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से०ग्रे० सम्प्रति सहायक निदेशक (मु०), अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में निदेशक, अभियोजन, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

२. श्री सिंह, सहायक निदेशक (मु०) दिनांक ०१.१२.२०२१ के पूर्वाह्न में निदेशक, अभियोजन का स्वतः प्रभार ग्रहण करेंगे।

३. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे, उप-सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
२९ नवम्बर २०२१

सं० बी०एम०डी०सी०-१८०-१७/९९-३५६०/एम०--Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. (बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) के निदेशक पर्वद (Board of Directors) को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|--------------|
| १. श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से० | - | अध्यक्ष |
| प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना। | | |
| २. श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से० | - | सरकारी सदस्य |
| प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि०,
बिहार, पटना। | | |
| ३. श्री आशुतोष, भा०व०से०, | - | सरकारी सदस्य |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वि०), | | |

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

4. श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 - सरकारी सदस्य
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।
5. श्री रूपेश कुमार श्रीवास्तव I.O.F.S - सरकारी सदस्य
उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
2. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

5 अक्टूबर 2021

सं0 1/पी0-1002/2017-सा0प्र0-11833—राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्री राजेश कुमार, आई0आर0पी0एस0, संयुक्त निदेशक, बिपार्ड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-रेल मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति) की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग-रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 05.11.2021 की समाप्ति के पश्चात् उसे अगले दो (02) वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 06.11.2023 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

7 अक्टूबर 2021

सं0 1/अ0-29/2008-सा0प्र0-12012—श्री आदेश तितरमारे, भा0प्र0से0(2006), सम्प्रति उपाध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई, तदेन निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 09.09.2021 से 17.09.2021 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री तितरमारे की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत उपाध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के पद पर नियुक्ति होने के उपरांत उन्हें उक्त पद पर योगदान देने हेतु बिहार संवर्ग से विरमित किये जाने के कारण उनके द्वारा स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप, श्री तितरमारे के पक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-9780 दिनांक 01.09.2021 द्वारा दिनांक 09.09.2021 से 17.09.2021 तक स्वीकृत कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

11 अक्टूबर 2021

सं0 1/पी0-1002/2017-सा0प्र0-12128—राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, आई0आर0टी0एस0 (2000), प्रबंध निदेशक, कम्पेड, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग- रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 19.11.2021 की समाप्ति के पश्चात् उसे दिनांक 16.11.2022 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

20 अक्टूबर 2021

सं0 1/अ0-21/2008-सा0प्र0-12287—श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (बी एच: 2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर युनाइटेड किंगडम तथा तुर्की की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 27 एवं 28 नवम्बर, 2021 के सार्वजनिक अवकाशों का

पूर्व लग्न (Prefix) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 29.11.2021 से 15.12.2021 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

25 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल०-09/94(खण्ड)-सा०प्र०-12576—श्री आमिर सुबहानी, भा०प्र०से० (87), विकास आयुक्त, बिहार (अतिरिक्त प्रभार— महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान—बिपार्ड, पटना/निगरानी विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी/अपर मुख्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्सद, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 30 एवं 31 अक्टूबर, 2021 (साप्ताहिक अवकाश) के पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) तथा दिनांक 06 एवं 07 नवम्बर, 2021 (साप्ताहिक अवकाश) के पश्च लग्न (सफिक्स) के साथ दिनांक 01.11.2021 से 05.11.2021 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

26 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल०-07/2002-सा०प्र०-12590—श्री के० के० पाठक, भा०प्र०से० (बी एच:90)(केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से पैतृक संवर्ग में वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.10.2021 से 14.11.2021 तक कुल 42 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

28 अक्टूबर 2021

सं० 1/एल०-28/2001-सा०प्र०-12801—श्री संतोष कुमार मल्ल, भा०प्र०से० (बी एच:1997), सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी) को दिनांक 06.11.2021 एवं 07.11.2021 के सार्वजनिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 29.10.2021 से 05.11.2021 तक कुल 08 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

28 अक्टूबर 2021

सं० 1/सी०-1010/2021-सा०प्र०-12834—श्री सेधु माधवन एस०, भा०प्र०से० (बी एच:2020), सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 13017/47/2021- ए आई एस-1 दिनांक 21.10.2021 द्वारा बिहार संवर्ग से आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का पदभार त्याग करने की तिथि से आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में योगदान हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

31 अक्टूबर 2021

सं० 1/पी०-1004/2021-सा०प्र०-12916—श्री देओर नीलेश रामचंद्र, भा०प्र०से० (बी एच:2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा (अतिरिक्त प्रभार— बंदोबस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 17/3/2021-ई०ओ०(एम एम-1) दिनांक 06.10.2021 द्वारा माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री (श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह) भारत सरकार के आप्त सचिव नियुक्त किये जाने के आलोक में उन्हें नव-पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

31 अक्तूबर 2021

सं० 1/पी०-1004/2021-सा०प्र०-12917—श्री राजेश मीणा, भा०प्र०से०(2012), निबंधक, सहयोग समितियों, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) के धारा 20 के तहत उन्हें सारण, छपरा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. साथ ही, श्री मीणा अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

1 नवम्बर 2021

सं० 1/अ०-1010/2017-सा०प्र०-12920—श्री अंशुल कुमार, भा०प्र०से० (2016), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 19.11.2021 से 15.12.2021 तक कुल 27 (सताईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद अपने प्रदत्त दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

1 नवम्बर 2021

सं० 1/ अ०-21/2008-सा०प्र०-12922—श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा०प्र०से० (बी एच:2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या-12287 दिनांक 20.10.2021 द्वारा वैयक्तिक व्यय पर युनाइटेड किंगडम तथा तुर्की की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 27 एवं 28 नवम्बर, 2021 के सार्वजनिक अवकाशों का पूर्व लग्न (Prefix) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 29.11.2021 से 15.12.2021 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गई है।

2. श्रीमती प्रेयषी की संदर्भित छुट्टी की अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी:-

क्र.	पद/दायित्व	पदाधिकारी का नाम एवं बैच जो उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रासंगिक छुट्टी अवधि में स्तम्भ-2 के पदों के प्रभार में रहेंगे
1	2	3
1	सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना	श्री विनय कुमार, भा०प्र०से०(1999), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, पटना/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना)
2	सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना	श्री एन० सरवन कुमार, भा०प्र०से०(2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

3 नवम्बर 2021

सं० 1/अ०-1005/2018-सा०प्र०-13218—श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा०प्र०से० (2014), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18(1) के तहत दिनांक-16.11.2021 से 12.05.2022 तक कुल-178 (एक सौ अड़हत्तर दिन) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

3 नवम्बर 2021

सं० 1/अ०-1015/2019-सा०प्र०-13219—श्रीमती वर्षा सिंह, भा०प्र०से० (2016), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18(1) के तहत दिनांक-01.11.2021 से 29.04.2022 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी दिन) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

14 नवम्बर 2021

सं० 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-13404—श्री अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0 (2016), नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-13405—श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (2017), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

16 नवम्बर 2021

सं० 1/अ0-13/2012-सा0प्र0-13464—श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (बी एच:2010), निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.11.2021 से 16.11.2021 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

16 नवम्बर 2021

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-13466—श्री प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0 (मणिपुर :2006) द्वारा बिहार संवर्ग की अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि की दिनांक 11.11.2021 की समाप्ति के उपरान्त प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के धारित पद का परित्याग दिनांक 11.11.2021 के अपराह्न में किया गया है। फलतः, श्री झा दिनांक 11.11.2021 के अपराह्न से पैतृक संवर्ग (मणिपुर संवर्ग) में योगदान देने हेतु विरमित माने जाएँगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

16 नवम्बर 2021

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-13467—श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2007), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

17 नवम्बर 2021

सं० 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-13534—श्री के० के० पाठक, भा0प्र0से0 (1990) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(90), अपर मुख्य सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएँगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

18 नवम्बर 2021

सं० 1/सी0-1002/2019-सा0 प्र0-13614—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान (संयुक्त सचिव स्तर) (वेतनमान-लेवल-11-₹67,700 -₹2,08,700/-) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री तनय सुल्तानिया(2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, दरभंगा	21.10.2021
2	श्री तरनजोत सिंह (2017)	नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ	25.09.2021
3	श्री विशाल राज(2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधुबनी	01.01.2021

4	श्री आरिफ अहसन(2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जमुई	01.01.2021
5	श्री विवेक रंजन मैत्रोय(2017)	नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर	01.10.2021
6	श्री कुमार गौरव (2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कैमूर	01.01.2021
7	श्री योगेश कुमार सागर(2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बक्सर	01.01.2021
8	श्री अनिल कुमार(2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	01.01.2021
9	श्रीमती अभिलाषा शर्मा(2017)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया	30.06.2021

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

3 नवम्बर 2021

सं० 1स्था०-214/2021-2202/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1996, दिनांक 06.10.2021 द्वारा नियुक्त प्रशासनिक संवर्ग के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतन स्तर-9 में अन्य अनुमान्य भत्तों सहित योगदान स्वीकार किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम	योगदान की तिथि
1.	श्री सीतेश कुमार झा	11.10.2021 अप०
2.	श्री राजीव रंजन	08.10.2021 अप०
3.	श्री पूर्णेंद्र शेखर दास	11.10.2021 पूर्वा०
4.	श्री अमितेश रंजन	08.10.2021 अप०
5.	श्री चंदन कुमार	11.10.2021 पूर्वा०
6.	श्री सुशील कुमार	26.10.2021 पूर्वा०
7.	श्री सुन्दरम आनंद	11.10.2021 पूर्वा०
8.	श्री सुधांशु राय	11.10.2021 पूर्वा०
9.	सुश्री शिल्पा यादव	11.10.2021 पूर्वा०
10.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	08.10.2021 पूर्वा०
11.	श्री हर्ष प्रताप सिंह	08.10.2021 पूर्वा०
12.	सुश्री मीमांशा चौधरी	11.10.2021 पूर्वा०
13.	सुश्री जयंती	11.10.2021 पूर्वा०
14.	श्री शशि भूषण कुमार	11.10.2021 अप०
15.	सुश्री नेहा भारती	11.10.2021 पूर्वा०
16.	श्रीमती रुशदा रहमान	17.10.2021 अप०
17.	श्री प्रज्ञाग्नि	11.10.2021 पूर्वा०
18.	श्री शिरीष कुमार	11.10.2021 पूर्वा०
19.	श्रीमती महिमा प्रभाकर	08.10.2021 पूर्वा०

2. क्रम संख्या-10 पर अंकित श्री कौशलेन्द्र कुमार को बिहार विधान सभा सचिवालय में सहायक के पद से विरमित करते हुए प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दिनांक 08.10.2021 पूर्वा० से योगदान स्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।

5 नवम्बर 2021

सं० 1स्था०-198/2021-2204/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1998, दिनांक-06.10.2021 द्वारा नियुक्त सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क संवर्ग के निम्नांकित जनसंपर्क पदाधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतन स्तर-9 में अन्य अनुमान्य भत्तों सहित योगदान स्वीकार किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम	योगदान की तिथि
1.	श्री प्रभात कुमार	11.10.2021 पूर्वा०
2.	श्री आकाश दीप	11.10.2021 पूर्वा०

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।

8 नवम्बर 2021

सं० 2स्था०-203/2018-2217/वि०स०।-श्री पांडव कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/-रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल० टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक-07.11.2021 से 14.11.2021 तक पटना से द्वारिका (गुजरात) एवं द्वारिका (गुजरात) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक- 08.11.2021 एवं 12.11.2021 को आकस्मिक अवकाश, दिनांक-9.11.2021 को प्रतिबंधित अवकाश तथा दिनांक-07.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 13.11.2021 एवं 14.11.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।

8 नवम्बर 2021

सं० 02 स्था०-173/2021-2220/वि०स०।-सभा सचिवालय के श्री संतोष कुमार, आप्त सचिव जो वेतन स्तर-9 में प्रतिमाह 58,000/- रुपये वेतन पाते हैं का बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-19.10.2021 से 29.10.2021 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-30.10.2021 एवं 31.10.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है। इनके उपार्जित अवकाश कोष में शेष 275 दिनों की छुट्टी संग्रहित रहेगा।

आदेश से,
प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव।

15 नवम्बर 2021

सं० 1स्था०-229/2021-2226/वि०स०।-श्री शैलेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति सचिव, बिहार विधान सभा जो 74,910/- (अपुनरीक्षित) रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-7/एम०-1-1-402/2000(खंड-II) का-9188, दिनांक-14.09.2006 की कडिका-3 के आलोक में एच.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक-02.11.2021 के अप० से 14.11.2021 अप० तक पटना से गिरावड़ी, जिला-झुंझुनू (राजस्थान) एवं गिरावड़ी, जिला-झुंझुनू (राजस्थान) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक-03.11.2021, 05.11.2021, 08.11.2021 एवं 12.11.2021 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक-09.11.2021 को प्रतिबंधित अवकाश की स्वीकृति के साथ दिनांक-04.11.2021, 06.11.2021, 07.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 13.11.2021 एवं 14.11.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।

16 नवम्बर 2021

सं० क्र०वि०स०-02/1994-3014/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-4958, दिनांक 30.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पवन कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा को क्रय समिति के सभापति के रूप में नामित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
राज कुमार राम, उप-सचिव।

30 नवम्बर 2021

सं० 2स्था०-172/2018-2338/वि०स०।—श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक 22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक 09.12.2021 से 12.12.2021 तक पटना से बैंगलुरु (कर्नाटक) एवं बैंगलुरु (कर्नाटक) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक 09.12.2021 एवं 10.12.2021 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 11.12.2021 एवं 12.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।

27 नवम्बर 2021

सं० 2स्था०-324/2019-2321/वि०स०।—श्रीमती अनुपमा प्रसाद, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 99,800/- रुपये प्रतिमाह वेतन पाती हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक 22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक 21.12.2021 से 26.12.2021 तक पटना से गोवा एवं गोवा से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक 21.12.2021 से 23.12.2021 तक आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 24.12.2021 को प्रतिबंधित अवकाश के साथ दिनांक 25.12.2021 एवं 26.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।

27 नवम्बर 2021

सं० 2स्था०-03/2020-2319/वि०स०।—श्री संजीव कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक 22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक 19.12.2021 से 29.12.2021 तक पटना से मुम्बई एवं मुम्बई से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक 20.12.2021 से 23.12.2021 एवं दिनांक 27.12.2021 से 29.12.2021 तक आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 24.12.2021 को प्रतिबंधित अवकाश के साथ दिनांक-19.12.2021, 25.12.2021 एवं 26.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।

26 नवम्बर 2021

सं० 1स्था०-214/2021-2307/वि०स०।—बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1996, दिनांक-06.10.2021 द्वारा नियुक्त प्रशासनिक संवर्ग के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतन स्तर-9 में अन्य अनुमान्य भत्तों सहित योगदान स्वीकार किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम	योगदान की तिथि
1.	सुश्री कनुप्रिया मिश्रा	02.11.2021 पूर्वाह्न
2.	श्री सौरभ प्रकाश	11.10.2021 पूर्वाह्न

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप सचिव।

26 नवम्बर 2021

सं० 1स्था०-163/2021-2309/वि०स०।—सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-926, दिनांक-02.06.2021 द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्त श्री प्रभात चन्द्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-682/19 गृह जिला-मधुबनी को उप सचिव (अपने वेतनमान में) को सभा सचिवालय द्वारा वाहन की सुविधा नहीं दी गयी है।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 के कंडिका-3 (B) के अनुसरण में श्री प्रभात चन्द्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-682/19 गृह जिला-मधुबनी को उप सचिव (अपने वेतनमान में) को शहरी परिवहन भत्ता देय होगा।

आदेश से,
पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।

मुख्य अभियंता का कार्यालय
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान

कार्यालय आदेश

22 नवम्बर 2021

सं० 1/स्था०अनु०-12-101/2020-1645-50/सिवान—जिला अनुकम्पा समिति —सह— जिलाधिकारी, सिवान की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2021 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति, बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 728/स्था०, सिवान, दिनांक 12.07.2021 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री अभिषेक कुमार, पिता—स्व० सुधीन्द्रनाथ, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा को अनुकम्पा के आधार पर वेतनमान लेवल-II (19900-63200) ग्रेड पे-1900 रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक (वर्ग-03) के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के कार्यालय में दिनांक 15.12.2021 तक देना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. इनकी वरीयता नियुक्ति तिथि के पूर्व तैयार की गई वरीयता सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।
3. स्व० सुधीन्द्रनाथ के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व श्री अभिषेक कुमार पर होगा। यदि मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असेनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।
5. स्वीकृत रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियमानुसार रोस्टर बिन्दु अग्रगणित किया जा सकेगा।
6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. गलत कागजात/अभिलेख के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने की सूचना प्रकट होने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त होने के पश्चात् पुनः अनुकम्पा का लाभ लेते हुए संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।
10. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगा।



आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर 2021

सं० 15/एम1-72/2021-2640—स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक-1/विविध -78/2019-342(1) दिनांक 26.03.2021 के आलोक में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 4(2) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाता है।

आदेश से,
असंगबा चुबा आओ, सचिव।

जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

6 दिसम्बर 2021

सं० सिं०को०-01/2001 पार्ट-IV-337—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के सम्पूर्ण नहर प्रणाली के अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्यों को पूर्ण करने हेतु रब्बी सिंचाई 2021-22 के दौरान नहरों का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः इन नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आगामी रब्बी सिंचाई 2021-22 की अवधि में इनमें जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,
अरुण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 34—571+15-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वित्त विभाग

शुद्धि-पत्र

3 दिसम्बर 2021

सं० 1/स्था०(ले०से०)-04/2021-8144/वि०—वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-7543 दिनांक 12.11.2021 के 'स्तम्भ-7' के स्थान पर 'स्तम्भ-4' एवं 'सेवा सम्पुष्टि की संभावित तिथि' के स्थान पर 'सेवा सम्पुष्टि की तिथि' पढ़ा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गोरखनाथ, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 34—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 1159—मैं, राहुल, पिता—एस.एन.लाल, निवासी ग्राम—आदर्श नगर, लेन नं0—03, खबड़ा उर्फ किरतपुर गुरदास, थाना—सदर, जिला—मुजफ्फरपुर, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के समक्ष लिए गए शपथ के आधार पर उनके स्तर से जारी शपथ-पत्र संख्या—30546, दिनांक—09.10.2021 के आधार पर मैं अब “राहुल कर्ण” के नाम से जाना जाऊंगा।

राहुल।

No. 1159--I, Rahul, S/o-S.N Lal, Resident of village-Adarsh Nagar, Lane No.-03, Khabra @ Kiratpur Gurdas, P.S-Sadar, District-Muzaffarpur has change my name & in this regard I take my oath before the Sub Divisional Magistrate, East, Muzaffarpur through Affidavit No-30546 dated-09.10.2021 & thereby now my name will be "RAHUL KARN" for all purposes.

Rahul.

No. 1168--I, HARSHA Narayan Jha alias Harkhu Jha, Adhar no. 904288296026, son of Late Radha Nandan Jha, Village+PO+PS-Lakhanaur, Dist.-Madhubani A/p Qr. No.-118, Kautilya Nagar, B.M.P. Road, P.O.-B. V. College, P.S.-Airport, Patna, declare vide affidavit no. 8632 dated 27.11.2021 that Harsh Narayan Jha alias Harkhu Jha S/o Late Radha Nandan Jha is one and the same person.

HARSHA Narayan Jha.

No. 1169--I, **ANKIT** S/o Pranay Lal R/o C-43, Vijay Nagar, Kankarbagh, PS- Patrakarnagar, Patna, Bihar, Pin-800020 declare that vide affidavit no. 5174 dated 13.08.2021 that I would be known as Ankit Goyal for all my future purposes.

ANKIT.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 34—571+10—डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 9/आरोप (राज०उ०)-02-02/2012-4655
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

6 दिसम्बर 2021

श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति बी०एस०बी०सी०एल०, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-2833 दिनांक-06.08.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित है। उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री कुमार अमित, विशेष अधीक्षक मद्य निषेध को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

02. श्री कुमार अमित, विशेष अधीक्षक मद्य निषेध के स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी-8ए, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

03. संकल्प के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज०उ०)-02-12/2015-4656

6 दिसम्बर 2021

श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति बी०एस०बी०सी०एल०, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1673 दिनांक-31.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित है। उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक मद्य निषेध, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

02. अधीक्षक मद्य निषेध, मुंगेर के स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी-8ए, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

03. संकल्प के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 34-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>